सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 31/2018

1. जीतसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 12 क्यू तहसील श्रीगंगानगर
2. मनजीत सिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 12 क्यू तहसील श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. केवलसिंह पुत्र रला सिंह जाति कम्बोज निवासी 12 क्यू तहसील श्रीगंगानगर
2. जगदीश सिंह पुत्र ज्ञान सिंह जाति कम्बोज निवासी 12 क्यू तहसील श्रीगंगानगर
3. जोगेन्द्र सिंह पुत्र रला सिंह जाति कम्बोज निवासी 12 क्यू तहसील श्रीगंगानगर
4. महेन्द्रसिंह पुत्र रला सिंह जाति कम्बोज निवासी 12 क्यू तहसील श्रीगंगानगर
5. बिन्द्र सिंह पुत्र रला सिंह जाति कम्बोज निवासी 12 क्यू तहसील श्रीगंगानगर
6. जैल सिंह पुत्र रला सिंह जाति कम्बोज निवासी 12 क्यू तहसील श्रीगंगानगर
7. गुरदेव सिंह पुत्र रेशम सिंह जाति कम्बोज निवासी 12 क्यू तहसील श्रीगंगानगर
8. भूपेन्द्र सिंह पुत्र रेशम सिंह जाति कम्बोज निवासी 12 क्यू तहसील श्रीगंगानगर
9. राजेन्द्र सिंह पुत्र रेशम सिंह जाति कम्बोज निवासी 12 क्यू तहसील श्रीगंगानगर
10. बलजिन्द्र सिंह पुत्र ज्ञान सिंह जाति कम्बोज निवासी 12 क्यू तहसील श्रीगंगानगर
11. महेन्द्र सिंह पुत्र बग्गा सिंह जाति कम्बोज निवासी 12 क्यू तहसील श्रीगंगानगर
12. स्टेट ऑफ राजस्थान

रेस्पोडेन्टस

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थित :

1.श्री अरविन्द्र सिंह अरोडा अधिवक्ता अपीलार्थी

2.राजपैराकार तहसीलदार श्रीगंगानगर उपस्थित।

:: आदेश :: **दिनांक :–20.06.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि आदेश तहसीलदार श्रीगंगानगर जो कि पत्रावली सख्या 02/2017 में दिनांक 27.12.2017 को पारित कर इन्तकाल नम्बर 306 दिनांक 04.12.2017 पर ही इन्तकाल निरस्त करने का आदेश दर्ज किया है जो गलत खिलाफ वाकेआत होने से हर प्रकार से ही निरस्तनीय है क्योंकि आदेश प्रकरण 02/2017 में पारित किया गया यकतरफा होने से निरस्तनीय है। आदेश दिनांक 27.12.2017 प्रकरण 02/2017 केवलसिंह बनाम सरकार में पारित करने से पूर्व ना तो अपीलान्टस को कोई नोटिस दिया

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गया ना मिला ना ही बुलाया ना ही सुना गया । निर्णय गलत यकतरफा पारित किया गया है न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों की कतई पालना नहीं की गई है। अतः आदेश निरस्तनीय है। आदेश 3 नियम 2 सीपीसी हम किसी प्रकार से बलविन्द्र सिंह के लिए जिम्मेवार नहीं है। अतः जेर अपील आदेश गलत है तथा हम प्रभावित पक्षकारो को नहीं सुना गया जबकि उपजिलाधीश के समक्ष प्रकरण 33/2016 में वह पक्षकार रहे है। अदालत मातहत का यह कहना कि प्रकरण 33/2016 में मुश्तरका खाता के रकबा में से रास्ता स्वीकृत होने से व केवल सिंह का यह कथन है कि हमारे किला नम्बर 11,14 में से रास्ता स्वीकृत होने से हम नहीं सुना गया है गलत है तथा इसी प्रकार से पटवारी की रिपोर्ट भी गलत है। प्रकरण सख्या 33/2016 निर्णय दिनांक 31.03.2017 की नकल शामिल है इसमें सभी आवश्यक पक्षकारों के नाम दर्ज है केवल सिंह का नाम भी दर्ज है व अन्य सभी प्रभावित के नाम दर्ज है। इस प्रकार से आदेश 27.12.2017 स्पष्ट ही गलत है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि तहसीलदार ने प्रकरण 33/2016 के अनवान का ही सावधानी पूर्वक अवलोकन नहीं किया है। तहसीलदार को अपने ही आदेश दिनांक 04.12.2017 जिससे इन्तकाल नम्बर 306 रास्ता का दर्ज किया गया पर ना तो किसी प्रकार से रिव्यू करने का अधिकारी था तथा ना ही धारा 86 में ऐसा कोई भी प्रावधान ही है कि रिव्यू किया जा सकें। बल्कि अगर इन्तकाल नम्बर 306 दिनांक 04.12.2017 के खिलाफ केवल सिंह को कोई आपत्ति थी तो वह इस आदेश को सक्षम अदालत श्रीमान न्यायालय में चुनौती देता तथा श्रीमान न्यायालय ही इस आदेश दिनांक 04.12.2017 में कोई संशोधन अथवा परिवर्तन करने का आदेश दे सकती थी। इस प्रकार से मातहत ने आदेश दिनांक 27.12.2017 विधि विरूद्व पारित किया है। इन्तकाल नम्बर 306 दिनांक 04.12.2017 में कोई गलती नहीं थी क्योंकि उपजिलाधीश ने अपने निर्णय दिनांक 31.03.2017 में यह स्पष्ट लिखा है कि मुरब्बा नम्बर 25 में किला नम्बर 11–20–21 में रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। अतः इन किलाजात में से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश दिया जाता है किसी प्रकार से किसी किला का पट्टा दर्ज नहीं किया गया। अतः यह कहना कि किला नम्बर 11श14 में से रास्ता स्वीकृत किया गया है स्पष्ट ही मन मानी है। अगर इस आदेश दिनांक 31.03.2017 में कोई आपत्ति केवल सिंह आदि को थी तो राजस्व अपील अधिकारी के अपील की जाती तहसीलदार को 04.12.2017 के आदेश के बाद अगर कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता थी तो वह उपजिलाधीश को पत्र लिख कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते थे ना कि अपने ही आदेश दिनांक 04.12.2017 पर रिव्यू कर के गलत आदेश 27.12.2017 पारित किया जा सकता था। अतः अपने से उच्च अदालतो के अधिकारो का हनन किया जाकर गलत आदेश पारित किया गया है। आदेश जेर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई कानूनी अथवा विधिक प्रकिया अपनाई ना ही उपजिलाधीश से मार्ग दर्शन लिया, बल्कि अपने स्तर पर ही आदेश दिनांक 27.12.2017 पारित किया गया जो निरस्तनीय है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 27.12.2017 की पालना में इन्तकाल नम्बर 306 दिनांक 27.12.2017 में मर्ज होकर इन्तकाल नम्बर 306 दिनांक 04.12.2017 खारिज का आदेश किया है को निरस्त करते हुए दिनांक 04.12.2017 के इन्तकाल को ही कायम रखने का आदेश फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि आदेश तहसीलदार श्रीगंगानगर जो कि पत्रावली सख्या 02/2017 में दिनांक 27.12.2017 को पारित कर इन्तकाल नम्बर 306 दिनांक 04.12.2017 पर ही इन्तकाल निरस्त करने का आदेश दर्ज किया है जो गलत खिलाफ वाकेआत होने से हर प्रकार से ही निरस्तनीय है क्योंकि आदेश प्रकरण 02/2017 में पारित किया गया यकतरफा होने से निरस्तनीय है। आदेश दिनांक 27.12.2017 प्रकरण 02/2017 केवलसिंह बनाम सरकार में पारित करने से पूर्व ना तो अपीलान्टस को कोई नोटिस दिया गया ना मिला ना ही बुलाया ना ही सुना गया । निर्णय गलत यकतरफा पारित किया गया है न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों की कतई पालना नहीं की गई है। अतः आदेश निरस्तनीय है। आदेश 3 नियम 2 सीपीसी हम किसी प्रकार से बलविन्द्र सिंह के लिए जिम्मेवार नहीं है। अतः जेर अपील आदेश गलत है तथा हम प्रभावित पक्षकारो को नहीं सुना गया जबकि उपजिलाधीश के समक्ष प्रकरण 33/2016 में वह पक्षकार रहे है। अदालत मातहत का यह कहना कि प्रकरण 33/2016 में मुश्तरका खाता के रकबा में से रास्ता स्वीकृत होने से व केवल सिंह का यह कथन है कि हमारे किला नम्बर 11,14 में से रास्ता स्वीकृत होने से हम नहीं सुना गया है गलत है तथा इसी प्रकार से पटवारी की रिपोर्ट भी गलत है। प्रकरण सख्या 33/2016 निर्णय दिनांक 31.03.2017 की नकल शामिल है इसमें सभी आवश्यक पक्षकारों के नाम दर्ज है केवल सिंह का नाम भी दर्ज है व अन्य सभी प्रभावित के नाम दर्ज है। इस प्रकार से आदेश 27.12.2017 स्पष्ट ही गलत है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि तहसीलदार ने प्रकरण 33/2016 के अनवान का ही सावधानी पूर्वक अवलोकन नहीं किया है। तहसीलदार को अपने ही आदेश दिनांक 04.12.2017 जिससे इन्तकाल नम्बर 306 रास्ता का दर्ज किया गया पर ना तो किसी प्रकार से रिव्यू करने का अधिकारी था तथा ना ही धारा 86 में ऐसा कोई भी प्रावधान ही है कि रिव्यू किया जा सकें। बल्कि अगर इन्तकाल नम्बर 306 दिनांक 04.12.2017 के खिलाफ केवल सिंह को कोई आपत्ति थी तो वह इस आदेश को सक्षम अदालत श्रीमान न्यायालय में चुनौती देता तथा श्रीमान न्यायालय ही इस आदेश दिनांक 04.12.2017 में कोई संशोधन अथवा परिवर्तन करने का आदेश दे सकती थी। इस प्रकार से मातहत ने आदेश दिनांक 27.12.2017 विधि विरूद्व पारित किया है। इन्तकाल नम्बर 306 दिनांक 04.12.2017 में कोई गलती नहीं थी क्योंकि उपजिलाधीश ने अपने निर्णय दिनांक 31.03.2017 में यह स्पष्ट लिखा है कि मुरब्बा नम्बर 25 में किला नम्बर 11–20–21 में रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। अतः इन किलाजात में से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश दिया जाता है किसी प्रकार से किसी किला का पट्टा दर्ज नहीं किया गया। अतः यह कहना कि किला नम्बर 11श14 में से रास्ता स्वीकृत किया गया है स्पष्ट ही मन मानी है। अगर इस आदेश दिनांक 31.03.2017 में कोई आपत्ति केवल सिंह आदि को थी तो राजस्व अपील अधिकारी के अपील की जाती तहसीलदार को 04.12.2017 के आदेश के बाद अगर कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता थी तो वह उपजिलाधीश को पत्र लिख कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते थे ना कि अपने ही आदेश दिनांक 04.12.2017 पर रिव्यू कर के गलत आदेश 27.12.2017 पारित किया जा सकता था। अतः अपने से उच्च अदालतो के अधिकारो का हनन किया जाकर गलत आदेश पारित किया गया है। आदेश जेर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई कानूनी अथवा विधिक प्रकिया अपनाई ना ही उपजिलाधीश से मार्ग दर्शन लिया, बल्कि अपने स्तर पर ही आदेश दिनांक 27.12.2017 पारित किया गया जो निरस्तनीय है। लिहाजा अपील

स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 27.12.2017 की पालना में इन्तकाल नम्बर 306 दिनांक 27.12.2017 में मर्ज होकर इन्तकाल नम्बर 306 दिनांक 04.12.2017 खारिज का आदेश किया है को निरस्त करते हुए दिनांक 04.12.2017 के इन्तकाल को ही कायम रखने का आदेश फरमाया जावें।

राजपैरोकार तहसीलदार श्रीगंगानगर दिनांक 15.06.2018 को स्वंय उपस्थित । राजपैरोकार तहसीलदार श्रीगंगानगर ने अपनी बहस में कथन किया कि अनवानी प्रकरण से सम्बन्धित दर्ज इन्तकाल नम्बर 306 दिनांक 27.12.2017 के सम्बन्ध में दिनांक 22.05.2018 को संशोधित आदेश जारी कर उभयपक्ष की सहमति के आधार पर निर्णय पारित कर चक 12 क्यू के मुरब्बा नम्बर 25 में किला नम्बर 25,16,15 में 1–1/2 बिस्वा चौडाई में (किला नम्बर 25,16,15 तक 2–1/2 लम्बाई तक) तथा पूर्व दिशा में मुरब्बा नम्बर 24 के सामान्तर व किला नम्बर 15 व 14 में 1–1/2 बिस्वा चौडाई व किला नम्बर 13/1 में 1/2 बीघा तक 1–1/2 बिस्वा चौडाई (कुल 2–1/2 लम्बाई) तक दक्षिण दिशा में श्री महेन्द्र सिंह पुत्र बग्गा सिंह जाति कम्बोजसिंख की खातेदारी भूमि में रास्ता स्वीकृत किया गया है। उभयपक्ष के मध्य रास्ते की भूमि के बदले में मुआवजा राशि खातेदार श्री केवल सिंह वगैराह को पूर्व में दिया जा चुका है शेष किला नम्बर 15,14,13 के खातेदार श्री महेन्द्र सिंह पुत्र बग्गा सिंह जाति कम्बोजसिख की भूमि में वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि पर रास्ता स्वीकृत किया जाता है का निर्णय पारित किया जा चुका है। अतः अपील इसी स्तर खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। अनवानी प्रकरण से सम्बन्धित दर्ज इन्तकाल नम्बर 306 दिनांक 27.12.2017 के सम्बन्ध में दिनांक 22.05.2018 को संशोधित आदेश जारी कर उभयपक्ष की सहमति के आधार पर निर्णय पारित कर चक 12 क्यू के मुरब्बा नम्बर 25 में किला नम्बर 25,16,15 में 1–1/2 बिस्वा चौडाई में (किला नम्बर 25,16,15 तक 2–1/2 लम्बाई तक) तथा पूर्व दिशा में मुरब्बा नम्बर 24 के सामान्तर व किला नम्बर 15 व 14 में 1–1/2 बिस्वा चौडाई व किला नम्बर 13/1 में 1/2 बीघा तक 1–1/2 बिस्वा चौडाई (कुल 2–1/2 लम्बाई) तक दक्षिण दिशा में श्री महेन्द्र सिंह पुत्र बग्गा सिंह जाति कम्बोजसिंख की खातेदारी भूमि में रास्ता स्वीकृत किया गया है। उभयपक्ष के मध्य रास्ते की भूमि के बदले में मुआवजा राशि खातेदार श्री केवल सिंह वगैराह को पूर्व में दिया जा चुका है शेष किला नम्बर 15,14,13 के खातेदार श्री महेन्द्र सिंह पुत्र बग्गा सिंह जाति कम्बोजसिख की भूमि में वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि पर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। अतः हस्तगत अपील निषप्रभावी होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/6/18

(नखतदान बारहठ)
अति॰ जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।